



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39181

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 1484 वर्ष 2026

पीतम सिंह

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मृत्युंजय सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. नोटिस तामील किए जाने के बावजूद, शिकायतकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ यहाँ तक कि पुनरीक्षित सुनवाई में भी नहीं।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बात सुनी गई और रिकॉर्ड में प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एफ.आई.आर. पीड़िता की मां द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें कहा गया था कि 02.02.2025 को आवेदक ने उसकी लगभग 16 वर्षीय नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर एक होटल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया और घटना का वीडियो और तस्वीरें भी बनाईं। बलात्कार के कारण पीड़िता गर्भवती हो गई। इसके बाद, आवेदक ने उसे गर्भपात कराने के लिए कुछ दवा दी। जब पीड़िता ने पेट में दर्द की शिकायत की, तो आवेदक ने अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद उसका गर्भपात करा दिया। और जब उसकी सेहत बिगड़ गई, तो वह भाग गया। विद्वान अधिवक्ता ने आगे

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कहा कि यद्यपि धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयानों में पीड़िता ने आवेदक के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है, लेकिन अभियोजन पक्ष के अनुसार कथित घटना 02.02.2025 को हुई थी, जिसके संबंध में बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत आवेदन शिकायतकर्ता द्वारा 12.06.2025 को बिना किसी विलंब के तर्कसंगत स्पष्टीकरण के प्रस्तुत किया गया था। पीड़िता ने अपनी आंतरिक चिकित्सा जांच से इनकार कर दिया है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि पीड़िता ने पहले कभी अपने माता-पिता को सूचित नहीं किया था और न ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। आवेदक द्वारा उसके साथ की गई ऐसी घटना के संबंध में। जब वह गर्भवती हुई तो उसने आवेदक को सूचित किया जिसने उसे कुछ दवाएं दीं, इसके बाद, दर्द की शिकायत पर आवेदक ने गर्भपात करवा दिया, इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता सहमति से शामिल थी। इसके अलावा, अभियोजन पक्ष द्वारा लगाए गए आरोप के अनुसार कि आवेदक उसे एक होटल में ले गया था, जांच अधिकारी ने होटल के प्रबंधक का बयान दर्ज किया है जिसने अपने रजिस्टर के अनुसार बताया कि कथित तिथि को आवेदक या पीड़िता के नाम से उसके रजिस्टर में कोई प्रविष्टि नहीं है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि यह झूठा फंसाने का मामला है और आवेदक को दुर्भावनापूर्ण इरादे और गुप्त उद्देश्यों से इस मामले में फंसाया गया है। आवेदक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सत्यता सिद्ध करने हेतु कई अन्य दलीलें भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। अधिवक्ता के अनुसार, जिन परिस्थितियों के कारण अभियुक्त को झूठा फंसाया गया, उनका भी उल्लेख किया गया है। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधिवत सहयोग करने के लिए तत्पर है और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली सभी शर्तों को स्वीकार करने के लिए भी तैयार है। आगे वह प्रस्तुत करता है कि आवेदक 14.08.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का यह तर्क देते हुए विरोध किया है कि विचार पूर्व चरण में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, इसलिए वह किसी प्रकार की रियायत का पात्र नहीं है।

5. सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, अपराध की गंभीरता और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता है। तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

6. आवेदक **पीतम सिंह** को वाद अपराध संख्या 503/2025, बीएनएसएस की धारा 64, 87, 89 और बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत, पुलिस स्टेशन, कोतवाली, जिला मथुरा में,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



व्यक्तिगत मुचलका भरने और न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के दो स्थानीय जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
- iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित तिथि पर उपस्थित होगा।
- iv) आवेदक ऐसा कोई अपराध नहीं करेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का संदेह है।
- v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह व्यक्ति न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

7. उपरोक्त उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, संबंधित न्यायालय कानून के अनुसार आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

19 फरवरी, 2026

मुस्तकीम.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”